एचएसीसीपी कार्यान्वयन
एवं प्रमाणन एजेंसियों
के लिए अनुमोदन मानक

कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण
(वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय)
तीसरी मंजिल, एनसीयूआई बिल्डिंग, 3 सिरी इंस्टीट्यूशनल एरिया,
अगस्त क्रांति मार्ग, नई दिल्ली 110 016

(दूरभाष: 26534175, फैक्स: 26519259; ई-मेल: qmc@apeda.gov.in)

दस्तावेज़ सं.: एपीडा/क्यूएमसी/एचएसीसीपी . आरआईसीजी/2008
दिनांक: 18 जून 2008

एचएसीसीपी कार्यान्वयन एवं प्रमाणन एजेंसियों के लिए अनुमोदन मानक

1.0 परिचय

संवर्धित जागरूकता के साथ, अब उपभोक्ता सुरक्षा और स्वास्थ्य के प्रति अधिक सावधान हो गए हैं। दुनियाभर में खाद्य नियंत्रकों ने अपना ध्यान उत्पादन की समस्त प्रक्रिया के दौरान अंतिम बिंदु उत्पाद परीक्षण से मॉनीटरिंग की ओर लगा दिया है। खाद्य श्रृंखला की विभिन्न अवस्थाओं पर अवरोध विश्लेषण एवं प्रबल नियंत्रण बिंदु (एचएसीसीपी) के वितरण केंद्र पर कच्चे पदार्थ की प्राप्ति, ग्रेडिंग, परिवहन, वितरण, हैंडलिंग, भंडारण, प्रोसेसिंग, पैकिंग को उपभोकता को खाद्य सुरक्षा का आश्वासन करने हेतु लागू करना है।

एचएसीसीपी कार्यान्वयन एवं प्रमाणन के क्षेत्र में विभिन्न एजेन्सियां संलग्न हैं। इन एजेंसियों द्वारा अपनाए जाने वाले कार्यान्वयन एवं प्रमाणन के मापदंड और पेरामीटर व्यापक तौर पर परिवर्तनशील होते हैं। निर्माता और निर्यातकों ने अपनी इकाईयों में एचएसीसीपी कार्यान्वयन एवं प्रमाणन पर हमारी सिफारिशों के लिए अनुरोध किया है। ऐसी एजेंसियों की अनुमोदन हेतु प्रक्रिया के अभाव में एपीडा इस संबंध में किसी प्रकार की कोई सिफारिश देने में अयोग्य रहा है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए एपीडा के साथ एचएसीसीपी कार्यान्वयन एवं प्रमाणन एजेंसियों के एक पैनल को मूर्त रूप देना अनिवार्य है। तदनुसार एचएसीसीपी कार्यान्वयन एवं प्रमाणन एजेंसियों की अनुमोदन के लिए इन मापदंडों को निर्धारित किया जा सकता है।

2.0 क्षेत्र

इन मापदंडों का क्षेत्र एपीडा द्वारा अनुमोदित कार्यान्वयन एवं प्रमाणन एजेन्सियां होंगी तथा इनके द्वारा एपीडा में पंजीकृत निर्यातक, उनकी प्रोसेसिंग युनिटों द्वारा एपीडा के निर्धारित उत्पाद होंगे।

3.0 परिभाषा

अपील: इसका अर्थ उस प्रक्रिया से होगा जिसके अंतर्गत कार्यान्वयन एवं प्रमाणन एजेन्सियां एपीडा द्वारा लिए गए निर्णय पर पुन:विचार हेतु अनुरोध कर सकती हैं।

आवेदक: वे कार्यान्वयन एवं प्रमाणन एजेंसियां जिन्होनें अपनी अनुमोदन के लिए एपीडा के पास आवेदन भेज दिया है।

लेखा परीक्षा: इसमें कार्यस्थल पर स्वतंत्र मूल्यांकन का शामिल किया जाना है जो प्रक्रिया अथवा प्रोसेसिंग मानकों के अनुरूप कार्यक्षमता का सत्यापन करता हो।

लेखा परीक्षक: किसी प्रचालक की कार्यान्वयन/प्रमाणन से संबंधित लेखा परीक्षा के कार्य हेतु एपीडा द्वारा अनुमोदित कार्यान्वयन एवं प्रमाणन एजेंसी द्वारा नियुक्त किए गए व्यक्ति से है।

प्रमाणन: इसका अर्थ उस प्रक्रिया से है जिसके द्वारा एपीडा द्वारा अनुमोदित प्रमाणन एजेंसी द्वारा इस बात पर लिखित आश्वासन देना है कि स्पष्ट रूप से पहचाने गए उत्पादन अथवा प्रोसेसिंग प्रक्रिया का विधिपूर्ण मूल्यांकन किया गया है और वे विशिष्ट मानकों की कसौटी पर खरे उतरे हैं।

नीति संहिता: इसका अर्थ एचएसीसीपी के सभी लेखा परीक्षकों के साथ-साथ कार्यान्वयन एवं प्रमाणन एजेंसियों द्वारा अपनाए जाने वाली अपेक्षाओं/सिद्धांतो से है।

समिति: इसका अर्थ कार्यान्वयन एवं प्रमाणन एजेंसियों के विश्लेषण एवं मूल्यांकन के लिए एपीडा द्वारा गठित पैनल से होगा।

कार्यान्वयन: इसका अर्थ एपीडा द्वारा अनुमोदित कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा अपने पंजीकृत निर्यातकों को जागरूकता, प्रशिक्षण आदि से लिया जाएगा।

विश्लेषण: कार्यान्वयन तथा प्रमाणन एजेंसियों की कार्यक्षमता का एपीडा द्वारा युक्ति संगत परीक्षण की प्रक्रिया से होगा जो निर्यात के लिए खाद्य श्रृंखला के सभी स्तरों पर एचएसीसीपी लागू करने की विशिष्ट अपेक्षाओं को पूरा करे।

ऑपरेटर: इसका अर्थ किसी व्यक्ति अथवा व्यापार उद्यम से होगा जो खाद्य पदार्थों के रखरखाव, प्रोसेसिंग अथवा सहायक गतिविधियों में संलिप्त है और वह एपीडा द्वारा पंजीकृत है।

अनुमोदन: इसका अर्थ अनुमोदन तंत्र के माध्यम से एपीडा द्वारा निर्यातकों को खाद्य श्रृंखला के सभी स्तरों पर एचएसीसीपी लागू करने के लिए कार्यान्वयन एवं प्रमाणन एजेंसियों को स्वीकृति दिए जाने से है।

4.0 कार्यान्वयन एवं प्रमाणन एजेंसियों की अनुमोदन के मापदंड

4.1 कार्यान्वयन एजेंसियों की अनुमोदन के मापदंड

कार्यान्वयन एजेंसियों की अनुमोदन निम्नलिखित के द्वारा नियंत्रित की जाएगी:-

- एनआरबीपीटी/समकक्ष निकाय एवं निगरानीकर्ता द्वारा परामर्शदाता की विधिक स्थिति एवं पंजीकरण
- श्रमशक्ति एवं खाद्य क्षेत्र के विशिष्ट कार्यान्वयन लेखा परीक्षक
- एजेंसी का विशिष्टीकरण एवं उसके एचएसीसीपी कार्यान्वयन वाले पूर्ववृत्त
- एजेंसी की खाद्य सुरक्षा निर्देशिका/सदस्यता
- प्रमाणन एजेंसी के हस्तक्षेप के बिना स्वतंत्रता
- ऑपरेटर के कर्मचारियों के प्रशिक्षण की सशक्ता
- कार्यान्वयन लेखा परीक्षकों की मुख्य शैक्षिक योग्यता एवं प्रशिक्षण
- शुल्क प्रभार

4.2 प्रमाणन एजेंसियों की अनुमोदन के मापदंड

प्रमाणन एजेंसियों का अनुमोदन निम्नलिखित के द्वारा नियंत्रित किया जाएगा:-

- विधिक स्थिति, एचएसीसीपी हेतु भारतीय प्रचालन को एनएबीसीबी/समकक्ष संबंधता
- संबंधता निकाय द्वारा प्रमाणन एजेंसी की निगरानी
- श्रमशक्ति एवं खाद्य क्षेत्र के विशिष्ट कार्यान्वयन लेखा परीक्षक
- एजेंसी का विशिष्टीकरण एवं उसके एचएसीसीपी कार्यान्वयन वाले पूर्ववृत्त
- एजेंसी की खाद्य सुरक्षा निर्देशिका/सदस्यता
- प्रमाणन एजेंसी के हस्तक्षेप के बिना स्वतंत्रता
- प्रमाणन से इंकार/लेखा परीक्षा की प्रतिशत की अनुवर्ती कार्यवाई
- प्रमाणित इकाईयों के निगरानी रिकॉर्ड एवं एपीडा को सूचना का प्रस्तुतिकरण
- प्रमाणन लेखा परीक्षकों की मुख्य शैक्षिक योग्यता एवं प्रशिक्षण
- शुल्क प्रभार

4.3 अनुमोदन मापदंडों का संशोधन

4.3.1 अनुमोदन के मापदंड को आवश्यकतानुसार समय-समय पर एपीडा द्वारा संशोधित किया जा सकता है।

4.3.2 अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों की ज़रूरतों के अनुसार अथवा जैसा आवश्यक समझा जाए उसके अनुसार एपीडा द्वारा देखभाल की गई खाद्य वस्तुओं के निर्यात के विकास हेतु अनुमोदन के मापदंडों में परिवर्तन करने का अधिकार सुरक्षित है।

4.3.3 मापदंडों में किए गए किसी प्रकार के परिवर्तन से सभी आवेदकों एवं अनुमोदन की कार्यान्वयन

एवं प्रमाणन एजेंसियों को सूचित किया जाएगा। इन परिवर्तनों को एपीडा की वेबसाइट (www.apeda.gov.in) पर भी प्रकाशित किया जाएगा। संशोधित मापदंडों को इस प्रकार के नोटिस की तिथि से लागू कर दिया जाएगा।

5.0 अनुमोदन की प्रक्रिया

5.1 कार्यान्वयन एवं प्रमाणन एजेंसियों की अनुमोदन की योजना को स्वैच्छिक आधार पर शुरु किया गया है।

5.2 सभी आवेदकों को फार्म-1 भरना होगा। कार्यान्वयन एजेंसियों को परिशिष्ट-1 के अनुसार शुल्क की अपनी अनुमानित दर को प्रस्तुत करना होगा। प्रमाणन एजेंसियों को परिशिष्ट-2 के अनुसार शुल्क की अपनी अनुमानित दर को प्रस्तुत करना होगा। विधिवत रूप से भरे गए शुल्क सहित संपूर्ण आवेदन एपीडा, नई दिल्ली अथवा इसके किसी भी क्षेत्रीय कार्यालय में कर दिए जाएं। ऐसी भारी भरकम आवेदनों को रद्द कर दिया जाएगा जिनमें अवांछित अथवा असंगत सूचना दी गई है।

5.3 कार्यान्वयन एवं प्रमाणन एजेंसी के सभी लेखा परीक्षक, प्रमुख कार्यकारी अधिकारी द्वारा परिशिष्ट 3 और परिशिष्ट 4 के अनुसार नीति संहिता एवं व्यक्तिगत घोषणा पर हस्ताक्षर अवश्य किया जाए और उसे आवेदन के साथ जमा करें।

5.4 आवेदक एजेंसी द्वारा प्रस्तावित किए गए कार्यान्वयन/प्रमाणन एजेंसी के लेखा परीक्षक कम से कम छः महीने की अवधि के लिए एजेंसी में नियमित कर्मचारी के रूप में कार्य करेंगे।

5.5 आवेदक एजेंसी द्वारा प्रस्तावित किए गए कार्यान्वयन/प्रमाणन एजेंसी के लेखा परीक्षक, आवेदक एजेंसी के दूसरे आवेदनों में अपनी उपस्थिति नहीं देंगे। इस प्रकार की गलत व्याख्या के संबंध में कार्यान्वयन/प्रमाणन एजेंसी के लेखा परीक्षकों को आवेदक एजेंसी सहित पूर्णतया रद्द माना जाएगा। एक बार रद्द हो जाने पर इन आवेदकों को छः महीने बाद ही आवेदन करने के लिए अनुमति दी जाएगी।

5.6 निर्यात प्रयोजनों के लिए खाद्य श्रृंखला के सभी स्तरों पर एचएसीसीपी लागू करने के लिए कार्यान्वयन एवं प्रमाणन एजेंसियों के मूल्यांकन हेतु एपीडा द्वारा एक समिति का गठन किया जाएगा।

5.7 यह समिति मूल्यांकन के परिणामों तथा उनके बारे में अपनी सिफारिशों से एपीडा को अवगत कराएगी जो कार्यान्वयन अथवा प्रमाणन एजेन्सी के लिए प्रमाण-पत्र जारी करने पर विचार करेगा।

5.8 कार्यान्वयन अथवा प्रमाणन एजेंसी को अनुमोदन पत्र जारी करने से पहले एपीडा और कार्यान्वयन एवं प्रमाणन एजेंसियों के बीच एक समझौते पर हस्ताक्षर करने अनिवार्य होता है जिसमें योजना की शर्तों और लागत संरचना पर सहमति व्यक्त की जाती है।

5.9 एपीडा द्वारा फार्म-2 में उत्तीर्ण होने वाली एजेंसी को अनुमोदन पत्र जारी किया जाएगा। एपीडा अपने एपेक्स बुलेटिन में इस एजेंसी का नाम भी प्रकाशित करेगा और निश्चित अवधि के लिए इस सूचना को अपनी वेबसाइट पर भी उपलब्ध करेगा जिसमें अनुमोदन का क्षेत्र, अनुमोदन पत्र की समाप्ति की तारीख का उल्लेख किया जाएगा।

6.0 अनुमोदन की शर्तें

6.1 प्रचालन संबंधी अपेक्षाएं

अनुमोदन की गई कार्यान्वयन अथवा प्रमाणन एजेंसियों को निम्नलिखित के अतिरिक्त खाद्य सुरक्षा कार्यान्वयन एवं प्रमाणन सिद्धांतों पर कार्य करना होगा:-

6.1.1 सक्षमता

कार्यान्वयन अथवा प्रमाणन एजेंसियों के पास पर्याप्त संसाधन, अच्छा वित्तीय प्रबंधन होगा और वे अपने अधिकारियों एवं कर्मचारियों के समुचित प्रशिक्षण के आधार पर व्यावसायिक कार्यक्षमता का प्रदर्शन करेंगी।

6.1.2 स्वतंत्रता

कार्यान्वयन अथवा प्रमाणन एजेंसियों के पास निहित स्वार्थ अथवा किसी अन्य निजी प्रयोजनों के अमान्य प्रभाव से मुक्त स्वतंत्र रूप से कार्य करने के लिए संरचनाएं एवं प्रक्रियाएं होंगी।

6.1.3 जवाबदेही एवं जिम्मेदारी

कार्यान्वयन अथवा प्रमाणन एजेंसियों के अधिकारी एवं कर्मचारी सत्ता की स्पष्ट व्याख्या के प्रति जवाबदेह होंगे। एजेंसी अपने अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा संपन्न की जानेवाली समस्त गतिविधियों तथा प्रक्रिया की सीमा के अंतर्गत ठेके पर किए जाने वाले कार्य की संपूर्ण जिम्मेदारी वहन करेगी।

6.1.4 उद्देश्य

कार्यान्वयन अथवा प्रमाणन एजेंसियों को पक्षपातरहित आचरण करना होगा। कार्यान्वयन एवं प्रमाणन संगत तत्वों के उद्देश्यपरक मूल्यांकन पर आधारित होगा। ये तत्व खाद्य व्यापार से संबंधित ऑपरेटरों द्वारा खाद्य एवं खाद्य पदार्थों की सुरक्षा की कसौटी पर खरे उतरेंगे और ये उन सिद्धांतों

पर आधारित होंगे जो कोडेक्स ऐलिमेन्टेरिस, एफएओ/डब्लूएचओ में संदर्भित एचएसीसीपी के विकास में लागू किए जाते हैं।

6.1.5 साख

कार्यान्वयन अथवा प्रमाणन एजेंसियों को सभी उपयुक्त कदम उठाने होंगे जिसमें उनके लाइसेंस, प्रमाण-पत्र तथा कसौटी के मापदंडो का दुरुपयोग न हो।

6.1.5.1 सूचना की पहुंच

प्रमाणन जारी करने के लिए उत्पादन मानक, संगठनात्मक संरचना, वित्तीय संसाधन, नियम एवं प्रक्रियाएं, निगरानी के रिकॉर्ड तथा संबंधित सूचनाओं के आवश्यकतानुसार प्रकाशित किया जाएगा अथवा उपलब्ध कराया जाएगा। अनुप्रमाणित इकाईयों की एक सूची भी प्रकाशित की जाएगी। प्रमाणन लेखा परीक्षा के मामले भी पहली भेंट के समय देखी गई कमियों को प्रमाणन एजेंसियों द्वारा एपीडा के समक्ष प्रस्तुत किए जाएं।

6.1.5.2 गोपनीयता

कार्यान्वयन एवं प्रमाणन एजेंसी के पास सभी संगठनात्मक स्तरों पर विशिष्ट ऑपरेटरों (प्रमाणन गतिविधियों के दौराण प्रमाणित) से संबंधित सूचना की गोपनीयता सुनिश्चित करने की पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए। इसमें समितियां एवं अनुबंधित एजेंसियां भी शामिल की गई हैं।

6.1.5.3 प्रतिभागिता

कार्यान्वयन एवं प्रमाणन एजेंसी प्रभावित दलों से इन्पुट लेने के लिए पर्याप्त प्रक्रिया करेंगी, इसके अतिरिक्त इसका कार्य फॉर्म्स अपडेट करने वाली एचएसीसीपी में प्रतिभागिता करना भी है।

6.1.5.4 भेदभाव रहित

जिन नीतियों एवं प्रक्रियाओं के अंतर्गत कार्यान्वयन एवं प्रमाणन एजेंसियां कार्य करती हैं और उनका प्रशासन भेदभाव रहित रहता है तथा वे अपना कार्य जाति, राष्ट्रीय पृष्ठभूमि, धर्म, लिंग, आयु अथवा वैवाहित स्थिति पर ध्यान दिए बिना कार्य करेंगी।

6.2 प्रक्रियात्मक अपेक्षाएं

6.2.1 एचएसीसीपी के सिद्धांतों पर आधारित अनुमोदित एजेंसियों द्वारा कार्यान्वयन एवं प्रमाणन हेतु तथा एचएसीसीपी कार्यान्वयन अथवा प्रमाणन अथवा दोनों के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रियाओं में निम्नलिखित शामिल होगा:-

6.2.1.1 उत्पाद सुरक्षा के संबंध में प्रबंधन का उत्तरदायित्व

- कंपनी की नीति
- मूल्यांकन किए जाने वाले एचएसीसीपी प्रक्रिया का क्षेत्र
- कार्य का उत्तरदायित्व एवं प्राधिकारी
- एचएसीसीपी दल का गठन

6.2.1.2 उत्पाद सूचना

- उत्पाद की विशेषताएं
- निर्मित उत्पाद के अपेक्षित उपयोग का विवरण

6.2.1.3 प्रक्रियात्मक सूचना

- फ्लो डायग्राम अर्थात् कार्य की प्रक्रिया का स्वरूप
- प्रारूप
- सूचना पर नियंत्रण एवं उत्पादन की प्रक्रिया

6.2.1.4 अवरोध एवं नियंत्रण के उपाय

- अवरोध की पहचान
- जोखिम विश्लेषण
- नियंत्रण के उपाय

6.2.1.5 सीसीपी तथा इसके वैज्ञानिक मूल्यांकन का निर्धारण

6.2.1.6 महत्वपूर्ण सीमाओं की स्थापना

6.2.1.7 सीसीपी की मॉनिटरिंग

6.2.1.8 सुधारात्मक कार्यवाई

6.2.1.9 मान्यता

6.2.1.10 सत्यापन, अनुपालन एवं सुधारात्मक कार्यवाई

6.2.1.11 समीक्षा प्रक्रिया

6.2.1.12 प्रलेखन, प्रलेख डाटा नियंत्रण एवं अभिलेख

6.2.1.13 **प्रशिक्षण** - फूड प्रोसेसिंग इकाईयों के कर्मचारियों को सभी प्रकार का प्रशिक्षण कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा दिया जाएगा जिसमें खाद्य सुरक्षा के सभी मापदंड और सिद्धांतों को शामिल किया जाएगा।

6.2.1.14 **प्रमाणन** - अनुमोदित प्रमाणन एजेंसियां एपीडा के पंजीकृत निर्यातकों को संबंधता प्रमाण पत्र जारी करेंगी।

6.2.1.5 निगरानी- प्रमाणित इकाई की कम से कम अर्धवार्षिक अवधि पर आवधिक निगरानी की जिम्मेदारी प्रमाणन एजेंसी की होगी। प्रमाणन एजेंसी सुनिश्चित करेगी कि प्रोसेसिंग यूनिट की निगरानी अनिवार्य रूप से की गई है और यदि ऐसा नहीं होता है तब प्रमाणन एजेंसी की अनुमोदन को एपीडा द्वारा निरस्त कर दिया जाएगा। प्रमाणन एजेंसी को परिशिष्ट-5 के अनुसार एक घोषणा-पत्र जमा करना होगा।

6.2.2 कार्यान्वयन एवं प्रमाणन एजेंसियों की प्रचालन एवं प्रमाणित ऑपरेटरों के खिलाफ प्राप्त शिकायतों का निवारण करने के लिए अपनी नीतियां एवं प्रक्रियाएं होगी।

6.2.2.1 शिकायतों की सुनवाई संगठन की गुणवत्ता नीति, ग्राहक लेखा परीक्षा रिकार्ड प्रणाली एवं अनुशासन तथा ग्राहक शिकायत निवारण प्रणाली के अनुसार की जाएगी।

6.2.2.2 जब किसी शिकायत का निवारण किया जाता है तब उसके लिए एक दस्तावेज़ तैयार कर उसे शिकायतकर्ता एवं संबंधित दल के पास भेजा जाता है। कार्यान्वयन एवं प्रमाणन एजेंसियों को कार्यान्वयन एवं प्रमाणन से संबंधित सभी शिकायतों एवं उनके निवारण से संबंधित कार्यवाई का रिकार्ड रखना होगा।

7.0 मान्यता

7.1 अनुमोदन प्रमाण पत्र अनुमोदन की तारीख से तीन वर्ष की अवधि अथवा निरस्तीकरण की तारीख तक मान्य होगा।

7.2 अनुमोदन का नवीकरण

7.2.1 कार्यान्वयन एवं प्रमाणन एजेंसियां अनुमोदन की समाप्ति की तारिख से कम से कम दो महीने पहले अपने अनुमोदन के नवीकरण हेतु आवेदन कर सकती है।

7.2.2 नवीकरण की प्रक्रिया प्रारंभिक अनुमोदन के समय अपनाई जाए वाली प्रक्रिया के समान ही होगी। नवीकरण सभी लेखा परीक्षकों के लिए ज़रूरी होता है।

8.0 कार्यान्वयन एवं प्रमाणन लेखा परीक्षकों की योग्यताएं

8.1 कार्यान्वयन एवं प्रमाणन एजेंसियों के कार्यान्वयन एवं प्रमाणन लेखा परीक्षकों की निम्नलिखित मूल शैक्षिक योग्यताएं होंगी:-

क) फूड माइक्रोबायोलोजी

ख) डेयरी टेक्नोलॉजी (डेयरी माइक्रोबायोलॉजी/डेयरी केमिस्ट्री)

ग) फूड टेक्नोलॉजी

घ) फूड केमिस्ट्री

ङ.) फूड एवं न्यूट्रीशन

8.2 नए और नवीनीकरण हेतु आवेदन जमा करते समय कार्यान्वयन/प्रमाणन एजेंसियों को उन कार्यान्वयन/प्रमाणन लेखा परीक्षकों के जीवनवृत, प्रमाण पत्रों की अनुप्रमाणित प्रतियां आदि जमा करानी होंगी जिन्होंने एक साथ नीति संहिता तथा उपरोक्त विशिष्ट श्रेणी से संबंध रखने वाले घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं।

8.3 एपीडा द्वारा एजेंसियों के प्रोविजनल अनुमोदन जारी करते हुए उन्हें स्पष्ट रूप से सूचित करना होगा कि केवल उपरोक्त श्रेणियों लेखा परीक्षकों (नाम का उल्लेख करें) को ही एचएसीसीपी के कार्यान्वयन एवं प्रमाणन हेतु उद्योग को अपनी सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए प्राधिकृत किया जाएगा। एपीडा के पास लेखा परीक्षकों की कार्यक्षमता का सत्यापन करने के लिए निर्यातकों से जांच कराने का अधिकार सुरक्षित है।

8.4 कार्यान्वयन एजेंसी परिशिष्ट-6 के अनुसार एचएसीसीपी प्रमाणन लॉग शीट जमा करेगी। लेखा परीक्षाएं पूरी करने के लिए कुल 20 कार्य दिवस होंगे। टीम लीडर के लिए 40 कार्य दिवस होंगे। इन लेखा परीक्षकों में टीम लीडर के रूप में कार्य करेंगे।

9.0 शुल्क

9.1 अनुमोदन के लिए आवेदन भेजते समय आप एपीडा, नई दिल्ली के नाम पर देय 29,500/- रू की राशि एक बैंक ड्राफ्ट (जिसे वापस नहीं किया जाएगा) बनाकर भेजें।

9.2 आवेदन और नवीकरण शुल्क में किसी प्रकार के संशोधन से आवेदकों को सूचित कर दिया जाएगा।

10.0 अनुमोदन का स्थगन

10.1 यदि किसी कार्यान्वयन अथवा प्रमाणन एजेंसी का आचरण इस योजना के अनुच्छेद 6.0 में दी गई अनुमोदन की शर्तों के अनुरूप नहीं है तो एपीडा उस एजेंसी के अनुमोदन को समाप्त कर सकती है।

10.2 लेखा परीक्षकों के साथ-साथ कार्यान्वयन अथवा प्रमाणन संगठन के अनुमोदन की स्थिति को अनुमोदन प्रमाण-पत्र जारी करने के उद्देश्य के लिए हस्ताक्षरित किसी भी घोषणा, वचन, सत्यापन अथवा ज्ञापन की किसी शर्त की अवहेलना करने पर समाप्त किया जा सकता है।

10.3 अनुमोदन रद्द करने के संबंध में कार्यान्वयन अथवा प्रमाणन के मूल अनुमोदन पत्र को इस संबंध में किए गए पत्राचार की प्राप्ति के दस दिन के अंदर एपीडा के पास जमा करा दिया जाएगा।

10.4 अनुमोदन रद्द किए जाने की सूचना को एपेक्स बुलेटिन में प्रकाशित किया जाएगा तथा एपीडा की वेबसाइट पर भी प्रदर्शित किया जाएगा।

11.0 अपील

11.1 आवेदक अथवा अनुमोदन की गई कार्यान्वयन अथवा प्रमाणन एजेंसी अनुमोदन से संबंधित निर्णय के विरुद्ध अपील कर सकती है।

11.2 अपील एपीडा के अध्यक्ष के नाम की जाएगी तथा अनुमोदन के जिस निर्णय के समक्ष अपील की गई है उसकी प्राप्ति के 15 दिन के अंदर उनके पास पहुंच जाए।

11.3 एपीडा के अध्यक्ष 60 दिन के अंदर इस संबंध में अपना निर्णय लेंगे।

11.4 अनुमोदन निरस्तीकरण के संबंध में अपील के साथ अनुमोदन का मूल प्रमाण-पत्र संलग्न करना होगा।

11.5 एपीडा मेरिट के आधार पर आवेदन पर विचार करेगा और यदि आवश्यक हुआ तब एजेंसी के पुन:मूल्यांकन के आदेश दे सकता है तथा इस दौरान मूल्यांकन समिति द्वारा निकाली गई विसंगतियों को ठीक कर देना चाहिए।

11.6 यदि मंजूरी मिल जाती है तब 15000 रू का भुगतान करने पर अनुमोदन का नया प्रमाण-पत्र जारी किया जाएगा। अनुमोदन प्रमाण-पत्र रद्द किए जाने और नया अनुमोदन प्रमाण-पत्र जारी किए जाने के बीच के समय का उपयोग इस बात पर किया जाएगा कि इस अवधि में एजेंसी को अनुमोदित नहीं किया गया है।

12.0 **अनुमोदन प्रमाण पत्र के खो जाने अथवा खराब हो जाने की स्थिति में डुप्लीकेट अनुमोदन प्रमाण पत्र जारी किया किया जाएगा।**

12.1 अनुमोदन प्रमाण पत्र के खो जाने अथवा खराब हो जाने की स्थिति में 15000 रू के भुगतान पर डुप्लीकेट अनुमोदन प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। इस डुप्लीकेट अनुमोदन प्रमाण पत्र की मान्यता मूल अनुमोदन प्रमाण पत्र के समान ही होगी।

स्थान: नई दिल्ली **(असित त्रिपाठी)**
दिनांक: 18 जून 2008 **अध्यक्ष**

फार्म 1

कार्यान्वयन एवं प्रमाणन एजेंसियों के अनुमोदन को स्वीकृति/नवीकरण हेतु आवेदन

(इस आवेदन फार्म को भरते समय कृपया सुनिश्चित करें कि इसके सभी खंड पूर्ण रूप से भरे गए हैं और इसमें सभी सूचनाएं ठीक और ईमानदारी से दर्शायी गई है। आवेदक को आवेदन फार्म के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर अवश्य करने चाहिए। अधूरे आवेदन, हस्तलिखित आवेदनों को पूर्णतया रद्द कर दिया जाएगा।)

1. आवेदक का नाम और पता :
टेलिफोन नं. :
फैक्स नं. :
ई-मेल :
मुख्य अधिकारी का नाम :

2. स्थापना का वर्ष :

3. एजेंसी की विधिक स्थिति :

4. किस प्रकार के अनुमोदन के लिए आवेदन किया गया है

क) कार्यान्वयन एजेंसी :
(कृपया एनआरबीपीटी अथवा समकक्ष एजेंसी के पंजीकरण की प्रति लगाएं)

ख) प्रमाणन एजेंसी :
(कृपया एनआरबीपीटी अथवा भारत में प्रचालन हेतु एचएसीसीपी को समकक्ष एजंसी के पंजीकरण की प्रति लगाएं)

5. निरस्तीकरण/निलंबन की सूची :
(प्रमाणन के निरस्तीकरण की दर)

6. कार्यान्वयन/प्रमाणन सूची लेखा परीक्षक :

7. वह उत्पाद जिसके लिए कार्यान्वयन/
प्रमाणन किया गया है :

8. अनुमोदन और पुनरावृति (क्या आवेदक
पहले से किसी अन्य अनुमोदन कार्यक्रम
द्वारा पंजीकृत है? क्या आपके पास दूसरे
प्रमाणकर्ताओं से किसी प्रकार के पुनरावृति
समझौते हैं। यदि हां, कृपया विवरण दें
(अलग शीट का उपयोग करें) और प्रमाणन
के तौर पर पत्र तथा प्रमाण-पत्र की प्रति लगाएं:

9. संगठन के मानव संसाधन :

क) कृपया संगठन की संरचना बताएं
(लेखा परीक्षकों तथा तकनीकी कर्मचारियों
की संख्या), उनकी शैक्षिक योग्यता,
जीवनवृत
ख) एचएसीसीपी कार्यान्वयन अथवा प्रमाणन
कार्यक्रमों के विकास एवं प्रबंधन हेतु प्रमुख
व्यक्तियों की शैक्षिक योग्यता, जीवनवृत
और अनुभवों की जानकारी दें
ग) पहचान (नाम द्वारा) क्या ये प्रमुख व्यक्ति
आपके संगठन के कर्मचारी हैं अथवा वे
स्वतंत्र आधार पर कार्य करने वाले
व्यक्ति हैं
घ) कृपया अपनी एजेंसी और/अथवा
लेखा परीक्षकों की व्यावसायिक सदस्यता
की प्रतियां लगाएं
ङ) क्या आपके यहां आईएसओ गाइड, एफएओ

-डब्ल्यूएचओ कोडेक्स एलिमेन्टेरिस कमीशन संदर्भ निर्देशिका/मैनुअल/ऑप्रेटिंग मानक हैं? यदि हां तो इनके प्रकाशन का वर्ष लिखें

च) आपके आवेदन में जिन विषयों को शामिल किया जाएगा उन उत्पादों के लिए प्रशिक्षण सामग्री के संपूर्ण सैट प्रस्तुत करें। (कृपया उपरोक्त क्रं.सं 7 देखें)

छ) क्या आपके संगठन में कोई गुणवत्ता नीति,ग्राहक लेखा परीक्षा रिकार्ड प्रणाली एवं अनुशासन एवं ग्राहक शिकायत निवारण प्रणाली विद्यमान है, कृपया विस्तारपूर्वक बताएं।

ज) पिछले दो वर्षों में अपने ग्राहकों के निर्यात निरस्तीकरण के ब्यौरे प्रदान करें।

10. पिछले तीन वर्षों में कार्यक्षमता/उत्पादन :

11. अभिलेख प्रणाली का विवरण :

12. कृपया अपनी संबंधित शुल्क की संरचना प्रदर्शित करें **(फार्म-1 के परिशिष्ट 1 और 2)** जो लागू हो

13. परिशिष्ट की सूची :

14. बैंक ड्राफ्ट के ब्यौरे :

घोषणा

क) मैं/हम _____ घोषणा करता हूं कि मैंने/हमने कार्यान्वयन एवं प्रमाणन प्रक्रियाओं को पढ़कर समझ लिया है और मेरी/हमारी एजेंसी के संबंध में इनका पालन करूंगा।

ख) मैं/हम _____ घोषणा करता हूं कि मैंने/हमने निर्यात के लिए एचएसीसीपी कार्यांवयन एवं प्रमाणन के लागू होने की बात को पढ़कर समझ लिया है और मेरी/हमारी कंपनी जो _____ स्थान स्थित है को पढ़कर समझ लिया है।

ग) मैं/हम पुष्टि करते हैं कि मैं/हम एपीडा की नीति संहिता की निगरानी करेंगे।

घ) मैं/हम एपीडा द्वारा अनुमोदित एचएसीसीपी कार्यान्वयन एवं प्रमाणन एजेंसियों की सूची का नाम प्रकाशित करने के लिए भी सहमत हूं/हैं।

उत्तरदायित्व

मैं, _____ योजना के अंतर्गत अनुमोदन की शर्तों का अनुपालन करने के लिए सहमत हूं तथा एपीडा द्वारा समय समय पर इस संबंध में दिए गए अनुदेशों को पालन करने के लिए भी सहमत हूं और प्राधिकारी द्वारा जब भी मुझसे मेरी एजेंसी का निरीक्षण कराने के लिए कहा जाएगा मैं उनका पालन करूंगा। मैं यह भी समझता हूं कि यदि में ऐसा नहीं करता हूं तब मेरी/हमारीएजेंसी का अनुमोदन प्रमाण पत्र निरस्त कर दिया जाएगा।

सत्यापन

मैं, _____ एतद्वारा घोषणा करता हूं कि उपरोक्त सूचना मेरे ज्ञान एवं विवेकानुसार संपूर्ण एवं सही है तथा मैं इस संबंध में दी गई शर्तों का पालन के प्रति अपनी सहमति व्यक्त करता हूं।

तिथि: प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

स्थान: नाम एवं पदनाम

परिशिष्ट- 1

एचएसीसीपी प्रमाणन हेतु एपीडा के पंजीकृत निर्यातकों को संभावित शुल्क संरचना की जानकारी उपलब्ध कराई जाए (आवेदन के साथ प्रमाणन एजेंसी द्वारा जमा की जाए)

लागत (रूपयों में)

(क)
इन-हाउस एचएसीसीपी टीम की स्थापना और गठन
उत्पाद का वर्णन
संभावित उपयोग की पहचान
फ्लो डायग्राम अर्थात् रेखाचित्र की निर्मिति
फ्लो डायग्राम रेखाचित्र की पुष्टि
जीएमपी, जीएचपी और सफाई कार्यों का निर्धारण
महत्वपूर्ण अवरोधों की सूची बनाना, अवरोधों का विश्लेषण तथा इन्हें नियंत्रित करने के उपाय खोजना
सीसीपी के महत्वपूर्ण नियंत्रण बिंदुओं का निर्धारण
प्रत्येक सीसीपी के लिए महत्वपूर्ण सीमाओं का निर्धारण
सीसीपी के लिए मॉनिटरिंग प्रणाली का निर्धारण
सुधारात्मक उपायों का निर्धारण
सत्यापन प्रक्रियाओं का निर्धारण
दस्तावेज़ लिखना एवं रिकॉर्ड कीपिंग का निर्धारण
एसओपी बनाना

(ख)
जागरूकता/प्रशिक्षण

(ग)
संभावित यात्रा एवं आवागमन पर खर्च
(कार्यान्वयन लागत के 25% से अधिक नहीं)

_____

कुल:

_____

दिनांक: **प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता**

स्थान: **नाम व पदनाम**

परिशिष्ट-2

एचएसीसीपी प्रमाणन हेतु एपीडा निर्यातकों को संभावित शुल्क संरचना की जानकारी उपलब्ध कराई जाए (आवेदन के साथ प्रमाणन एजेंसी द्वारा जमा की जाए)

लागत (रूपयों में)

1. पंजीकरण
2. प्रमाणन
3. संभावित यात्रा एवं आवागमन पर खर्च

(प्रमाणन लागत के 25% से अधिक नहीं)

4. निगरानी

_____

कुल:

_____

दिनांक: प्राधिकृत हस्ताक्षरी

स्थान: नाम एवं पता

परिशिष्ट-3

कार्यान्वयन/प्रमाणबन एजेंसी के एचएसीसीपी लेखा परीक्षकों द्वारा अपनाई गई एवं हस्ताक्षर की गई नीति संहिता (आवेदन के साथ जमा की जाए)

एपीडा द्वारा अनुमोदित एचएसीसीपी कार्यान्वयन/प्रमाणन एजेंसियों के सभी कर्मचारियों के लिए उस संबंध में एपीडा की निति संहिता का अनुपालन करते हुए अपने व्यवसाय में सुधार लाना अनिवार्य है। संहिता का अनुपालन अनुमोदन प्रमाण पत्र जारी करने/नवीकरण की एक शर्त भी है। नीचे दिया गया घोषणा का प्रारूप संहिता की विषय वस्तु पर प्रकाश डालता है और इसे प्रत्येक लेखा परीक्षक तथा अग्रणी लेखा परीक्षक द्वारा हस्ताक्षरित किया जाना अनिवार्य है एवं आवेदक एजेंसी के मुख्य अधिकारी द्वारा इसका सत्यापन किया जाना अनिवार्य है।

घोषणा

मैं/हम पुष्टि करते हैं कि मैंने/हमने नीचे वर्णित एपीडा की नीति संहिता का अनुपालन किया है और मेरी/हमारी कार्यक्षमता के संबंध में किसी भी शिकायत को संगठन के अंदर ही औपचारिक तौर पर सुना गया है ताकि इसकी पुनरावृति न हो सके। हम निम्नलिखित अपेक्षाओं का पालन करने के प्रति वचनबद्धता प्रकट करते हैं:-

1. एक पेशेवर की तरह सही तरीके से पक्षपातरहित आचरण का प्रदर्शन करेंगे।
2. अपने पेशे की क्षमता एवं प्रतिष्ठा को बढ़ाने के लिए प्रयास करेंगे।
3. हम केवल उन्ही लेखा परीक्षाओं को अपने हाथ में लेंगे जिन्हें मैं/हम करने में सक्षम हैं।
4. मेरे/हमारे व्यवसाय में अथवा मेरी/हमारी देखरेखा में अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के प्रबंधन, व्यावसायिक अथवा लेखा परीक्षा के कौशल का विकास करने में सहायता करना।
5. ऐसे किसी भी संबंध की चर्चा किसी क्रेता अथवा नियोक्ता से करना जिसमें व्यक्तिगत अभिरूचित की अभिव्यक्ति हो और जिससे मेरे/हमारे निर्णय पर प्रभाव पड़ सकता है।
6. जब तक लेखा परीक्षा के किए जाने वाले व्यक्ति और लेखा परीक्षा संगठन द्वारा लिखित में अनुमति नहीं मिल जाए तब तक लेखा परीक्षा से संबंधित किसी भी सूचना की न तो चर्चा करना और न ही उसकी सार्वजनिक सूचना देना।
7. लेखा परीक्षा किए गए जाने वाले व्यक्ति, उसके कर्मचारी, अथवा किसी इच्छुक पार्टी अथवा जानबूझकर किसी प्रकार का अनुचित लाभ, कमीशन, उपहार अथवा अन्य कोई लाभ (वेतन को छोड़कर) नहीं लेना।
8. किसी लेखा परीक्षा की सत्यनिष्ठा से समझौता कर सकने वाली किसी प्रकार की झूठी अथवा भ्रामक सूचना की अभिव्यक्ति।
9. ऐसा कोई भी कार्य नहीं करना जिससे एपीडा की प्रतिष्ठा पर कोई आंच आए अथवा उसकी अनुमोदन प्रक्रिया पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े तथा इस संहिता के भंग होने की दशा में जांच प्रक्रिया में पूर्ण सहयोग देना।
10. मैं/इस (कार्यान्वयन कार्य के संबंध में) ऑपरेटरों के एचएसीसीपी प्रमाणन कार्यक्रम की बागडोर नहीं संभालूंगा। इसी प्रकार मैं/हम (प्रमाण कार्य के संबंध में) ऑपरेटरों के एचएसीसीपी कार्यान्वयन अथवा उनके प्रशिक्षण की बागडोर नहीं संभालेंगे।

दिनांक:
स्थान:

लेखापरीक्षक के हस्ताक्षर:
नाम:
पता:
ई-मेल और मोबाइल नं.:
एजेंसी के मुख्य अधिकारी द्वारा सत्यापित किया गया
हस्ताक्षर:
नाम:
पद:

दिनांक:
स्थान:

परिशिष्ट-4

एचएसीसीपी कार्यान्वयन/प्रमाणन लेखा परीक्षकों द्वारा की जाने वाली
व्यक्तिगत घोषणा का प्रारूप
(आवेदन के साथ जमा किया जाए)

1. मैं _____, एचएसीसीपी कार्यान्वयन/प्रमाणन लेखा परीक्षक के लिए एपीडा के विचारार्थ निम्नलिखित सूचना प्रस्तुत करता हूं:-

2. मैं मैसर्स _____, (कार्यान्वयन/प्रमाणन एजेंसी का नाम) में _____ से कार्य कर रहा हूं।

3. मैसर्स _____ (कार्यान्वयन/प्रमाणन एजेंसी का नाम) के नाम पर मैंने कार्यान्वयन/प्रमाणन के क्षेत्र में निम्नलिखित लेखा परीक्षाएं/निरीक्षण किए हैं:-

क्र.सं.	इकाई का नाम	लेखा परीक्षण का प्रकार (कार्यान्वयन/प्रमाणन)	लेखा परीक्षण की तिथि	इकाई के कार्यान्वयन/प्रमाणन की स्थिति

4. यदि मैं मैसर्स _____ (कार्यान्वयन/प्रमाणन एजेंसी का नाम) बदलता हूं, तो जिस एजेंसी के लिए मुझे कार्यान्वयन/प्रमाणन हेतु प्राधिकृत किया गया है उसके द्वारा एक सप्ताह के अंदर इसकी सूचना मैं सीधा एपीडा को दूंगा।

प्रमाण-पत्र

मैं _____ एतद्वारा प्रमाणित करता हूं कि दी गई सूचना मेरे ज्ञान एवं विवेकानुसार पूर्णतया संपूर्ण एवं सत्य है और मैं इसमें दी गई शर्तों का पालन करने के लिए अपनी सहमती व्यक्त करता हूं।

दिनांक:
स्थान:

लेखापरीक्षक के हस्ताक्षर:
नाम:
पता:
मोबाइल नं.:
एजेंसी के मुख्य अधिकारी द्वारा सत्यापित किया गया
हस्ताक्षर:
नाम:
पद:

दिनांक:
स्थान:

परिशिष्ट-5

घोषणा का प्रारूप

(एचएसीसीपी प्रमाणन एजेंसियों द्वारा आवेदन के साथ जमा किया जाए)

_____ (प्रमाणन एजेंसी) प्रमाण पत्र की मान्यता की संपूर्ण अवधि अथवा तीन वर्ष तक एचएसीसीपी की प्रमाणन प्रक्रियाओं के मापदंडों को अपनाने हेतु एपीडा के पंजीकृत निर्यातकों की निर्माण इकाईयों की अर्धवार्षिक निगरानी लेने की घोषणा करेंगी। निगरानी की अवधि प्रमाणन कार्यक्रम के क्षेत्रानुसार होगी किंतु एचएसीसीपी के लिए अर्धवार्षिक आधार पर ही यथावत् बनी रहेगी। निगरानी पूर्ण होने के बाद एपीडा को हम निगरानी की रिपोर्ट, कसौटी पर खरे न उतरने वाले तथ्यों एवं अनुपालन की सूचना भी प्रस्तुत करने के लिए अपनी सहमति व्यक्त करते हैं। यदि हमारे द्वारा (प्रमाणन एजेंसी) निगरानी का कार्य नहीं किया जाता है तब एपीडा द्वारा हमारे अनुमोदन को निरस्त किया जा सकता है।

स्थान: प्राधिकृत हस्ताक्षरी

तिथि: प्रमाणन एजेंसी का नाम

परिशिष्ट-6

प्रमाणन लॉग शीट (एचएसीसीपी प्रमाणन एजेंसियों द्वारा आवेदन के साथ जमा किया जाए)

प्रमाणन एजेंसी का नाम:

प्रमाणन लेखापरीक्षक का नाम:

लेखा परीक्षा की तिथि	दिनों में अवधि	लेखा परीक्षा वाली इकाई के संपर्क व्यक्ति का नाम और पता, फोन फैक्स, ई-मेल	टीम के सदस्य/लेखा परीक्षा टीम लीडर की भूमिका	लेखा परीक्षा टीम लीडर के संपर्क व्यक्ति का नाम, फोन नं. फैक्स, ई-मेल और ऑडिटर आई.डी संख्या	लेखा परीक्षा टीम के कुल सदस्य	प्रमाणन श्रेणी का क्षेत्र तथा लेखा परीक्षा में प्रयुक्त किए गए मानक	लेखा परीक्षा की अपेक्षा करने वाली एजेंसी के संपर्क व्यक्ति का नाम और पता, फोन फैक्स, ई-मेल	एजेंसी तथा संबंध निकाय द्वारा लेखा परीक्षा की जांच हस्ताक्षर एवं नाम (फोन नं.. फैक्स, ई-मेल तथा लेखा परीक्षक के साथ संबंध)

कृपया ध्यान दें कि इस लॉग में प्रत्येक लेखा परीक्षा की जांच केवल वहां की जाए जहां लेखा परीक्षक की कार्यक्षमता संतोषजनक दिखाई दे।

स्थान:
तिथि:

प्राधिकृत हस्ताक्षरी
प्रमाणन एजेंसी का नाम

परिशिष्ट-7

प्रमाणन लॉग शीट (एचएसीसीपी कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा आवेदन के साथ जमा किया जाए)

प्रमाणन एजेंसी का नाम:

प्रमाणन लेखापरीक्षक का नाम:

कार्यान्वयन की तिथि	दिनों में अवधि	जिस संगठन में एचएसीसीपी कार्यान्वयन किया जाना है उसका नाम, संपर्क व्यक्ति, फोन, फैक्स, ई-मेल	आपकी भूमिका: टीम सदस्य या टीम लीडर	एचएसीसीपी द्वारा कार्यान्वित की गई एजेंसी के टीम लीडर का नाम, फोन नं. फैक्स, ई-मेल	टीम में विशेषज्ञों की कुल संख्या	कार्यान्वयन का क्षेत्र और प्रयोग में लाए गए मानक	एजेंसी द्वारा लागू की गई प्रणाली का सत्यापन

कृपया ध्यान दें कि इस लॉग में प्रत्येक कार्यान्वयन की जांच केवल वहां की जाए जहां कार्यान्वयन लेखा परीक्षक की कार्यक्षमता संतोषजनक दिखाई दे।

स्थान: प्राधिकृत हस्ताक्षरी

तिथि: प्रमाणन एजेंसी का नाम

फार्म-2

कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण
(वार्णिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार)

एचएसीसीपी कार्यान्वयन एवं प्रमाणन एजेंसी का अनुमोदन

प्रमाणित किया जाता है कि नीचे वर्णित कार्यान्वयन एवं प्रमाणन एजेंसी को एपीडा द्वारा अनुमोदित किया गया है और उस पर अपेक्षित स्तरों को पूरा करने में सक्षम बनने हेतु विचार कर लिया गया है।

1. अनुमोदन सं. :

2. अनुमोदन की तिथि :

3. एजेंसी का नाम :

4. अनुमोदन मान्यता की तिथि :

5. अनुमोदन प्रदान किया गया है

   क. कार्यान्वयन :
   ख. प्रमाणिकरण :

6. अधिकृत लेखा परीक्षकों की सूची : अनुलग्नक के अनुसार

7. अनुमोदन की शर्तें : अनुलग्नक के अनुसार

स्थान: नई दिल्ली
तिथि:

एपीडा के लिए और ओर से
निदेशक

तीसरी मंजिल, एनसीयूआई बिल्डिंग, 3 सिरी इंस्टीट्यूशनल एरिया,
अगस्त क्रांति मार्ग (खेल गांव के सामने), नई दिल्ली 110 016 (भारत)